

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.17(1)नविवि/अभियान/2021


जयपुर, दिनांक: 107 APR 2022

आदेश

राजकीय विभागों एवं उनके उपक्रमों को भूमि आवंटन के प्रकरणों में मूल राशि जमा होने पर विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 02.11.2021 के अनुसार ही ब्याज व पैसेल्टी में शत प्रतिशत छूट देय होगी। उक्त आदेश अभियान अवधि में ही प्रभावी रहेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
7. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
8. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
10. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
11. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-प्रथम